"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2015—फाल्गुन 8, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2015

क्रमांक ई-1-04-2014/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (1983), कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

श्री अजय सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. आलोक शुक्ला (भाप्रसे-1986), प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. शेष दायित्व यथावत बना रहेगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

2. श्री बृजेश चंद्र मिश्रा (भाप्रसे-2002), संचालक, पंचायत, छत्तीसगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है तथा साथ-साथ उन्हें प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपता है.

3. श्री अनिल कुमार टुटेजा (भाप्रसे-2004), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, पंचायत, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्रमांक 263/205/2015/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अशोक जुनेजा, भा.पु.से. (1989), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर के दिनांक 06-02-2015 को खेल एवं युवा कल्याण विभाग से संबंधित शासकीय कार्य हेतु नई दिल्ली प्रवास एवं दिनांक 07-02-2015 से दिनांक 11-02-2015 तक स्वीकृत आकस्मिक अवकाश की अवधि में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पद का प्रभार श्री अरूण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण/रेल/यातायात), पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2015

क्रमांक ई 7-07/2014/1/2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री उमेश कुमार अग्रवाल, भा. प्र. से. कलेक्टर, जिला महासमुंद को दिनांक 06-02-2015 से दिनांक 13-02-2015 तक (08 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 फरवरी, 2015 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4. श्री अग्रवाल के उक्त अवकाश अवधि में श्री एस. एन. राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, महासमुंद का कार्य भी सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2015

संशोधन

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 पार्ट.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2004) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2004) के नियम-3 के परिशिष्ट-1 में प्रविष्टि 139 के पश्चात् निम्नांकित नई सामग्री सम्मिलित करता है :—

अनुक्रमांक 140-बायो-मीट्रिक डिवाईस (Bio-Metric Device)

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावी माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2015

क्रमांक 249/89/2015/16—भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 (1996 का 28) के अंतर्गत भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 2 के उप-नियम (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगरीय निकायों में आयुक्त नगर पालिक निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं समस्त निर्माण विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विकास प्राधिकरण इत्यादि को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त उपकर संग्रहक नियुक्त करती है.

No. 249/89/2015/16.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (f) of Rule 2 of the Building and Other Construction Worker's Welfare Cess Rules, 1998 under the Building and Other Construction Wrokers Welfare Cess Act, 1996 (No. 28 of 1996), the State Government hereby, appoints the Commissioner, Municipal Corporation and Chief Municipal Officers in the Urban Bodies and the Chief Executive Officers in the Panchayats and all the Construction Departments like Public Works Department, Water Resources Department, Public Health Engineering Department, Rural Development Department, Development Authority etc. as Additional Cess Collector under the Said Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 2 जनवरी 2015

क्रमांक/556/भू-अर्जन/कले./2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	इच्छापुर	2.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन उत्तर बस्तर कांकेर.	इच्छापुर व्यपवर्तन योजना के माइनर निर्माण.

कांकेर, दिनांक 2 फरवरी 2015

क्रमांक/560/भू-अर्जन/कले./2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	सिलतरा	4.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन उत्तर बस्तर कांकेर.	सिलतरा तालाब योजना

कांकेर, दिनांक 2 फरवरी 2015

क्रमांक/561/भू-अर्जन/कले./2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	सिंगारभाट	0.70	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन उत्तर बस्तर कांकेर.	हटकुल व्यपवर्तन योजना.

कांकेर, दिनांक 2 फरवरी 2015

क्रमांक/562/भू-अर्जन/कले./2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	मोहपुर	0.98	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन उत्तर बस्तर कांकेर.	हटकुल व्यपवर्तन योजना.

कांकेर, दिनांक 9 फरवरी 2015

क्रमांक/692/भू-अर्जन/कले./2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	बांगडोंगरी	0.10	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	अरौंद - मुरूमतरा - देवीनवागांव मार्ग के कि.मी. 4/6 पर झुरा नदी पर सेतु निर्माण पहुंच मार्ग.

कांकेर, दिनांक 9 फरवरी 2015

क्रमांक/694/भू-अर्जन/कले./2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	कुम्हानखार	0.25	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	डंवरखार - सारण्डा - कुम्हानखार मार्ग के कि.मी. 7/10 पर टुरी नदी पर सेतु निर्माण पहुंच मार्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2011-12.—भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता जल-संसाधन विभाग धर्मजयगढ़ द्वारा ग्राम लैलूंगा, प.ह.नं. 12, तहसील लैलूंगा, जिला-रायगढ़ की निजी भूमि श्रीमती अनिता पति गोपाल जाति अग्रवाल ख. नं. 312/13, रकबा 0.158 हे. झरन जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 13-04-2012 तथा दिनांक 14-6-2013 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग धर्मजयगढ़ द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही में धारा-9 में प्रकाशन होने के उपरांत पत्रक 13, 17 का मिलान कर जांच उपरांत मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है स्थल जांच में हल्का पटवारी द्वारा पाया गया खसरा नं. 312/13 से 0.158 हे. रकबा का अधिग्रहण की जा रही है. किन्तु इसमें से 0.158 हे. प्रभावित नहीं हो रहा है बल्कि 0.084 हे. भूमि प्रभावित हो रहा है. भू-अर्जन की धारा-48 के तहत क्रमांक 04 एवं 05 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-लैलूंगा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
312/13	0.074
योग कुल खसरा नं. 01	**कुल रकबा 0.074 हे.**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त की जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) लैलूंगा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 फरवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोतरा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.558 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
147/1	0.129

	(1)	(2)
	147/4	0.288
	147/11	0.101
	159/6	0.040
योग	4	0.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना की नहर अंतर्गत धनगांव वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 21 जनवरी 2015

क्रमांक 458/न्या.लि./2015.—जिले में बढ़ती औद्योगिकीकरण के कारण रायगढ़ महानगर का रूप लेता जा रहा है जिसके कारण शहर में भारी वाहनों का आवागमन काफी बढ़ गया है. सी.एम.ओ. तिराहा से किरोड़ीमल चौक की ओर आने-जाने वाली भारी वाहनों को प्रतिबंधित किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ एवं जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है.

लोक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से मैं मुकेश बंसल, जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं सहपठित मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सी.एम.ओ. तिराहा से किरोड़ीमल चौक को जोड़ने वाली सड़क पर भारी वाहन ट्रक-ट्रेलर का प्रवेश प्रात: 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करता हूं. प्रतिबंधित अवधि में ये वाहन सी.एम.ओ. तिराहा से सीधे उर्दना तिराहा की ओर से किरोड़ीमल चौक होकर चलेगी.

मुकेश बंसल,
जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी), रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

क्रमांक/आब./बकाया/2014/6257.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, कि आबकारी विभाग जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादारों से उनके नाम के सामने दर्शायी गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल संपत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र. (1)	रा.मा.क्र. (2)	बकायादार का नाम (3)	नाम दुकान (4)	बकाया वर्ष (5)	बकाया राशि (6)
1.	10 बी/96/2003-04	श्री कृष्ण कुमार उज्जवने वल्द नारायण राव, साकिन सूर्यवंशी कृषि फार्म भाठागांव, जिला रायपुर	विदेशी मदिरा दुकान गुढ़ियारी/गोगांव, रायपुर की ड्यूटी अंतर राशि	2003-04	2611185

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	7 बी/96/2003-04	श्री अमित छाबड़ा वल्द हेमराज छाबड़ा, साकिन ए.सी.सी. रावणभाठा जामुल नगर, जिला-दुर्ग.	विदेशी मदिरा दुकान टिकरापारा, रायपुर की ड्यूटी अंतर राशि	2002-03	4721489
3.	8 बी/96/2003-04	श्री देवेन्द्र महतो वल्द कन्हाई साकिन साहूपारा फाफाडीह, रायपुर.	विदेशी मदिरा दुकान खरोरा की ड्यूटी अंतर की राशि	2002-03	1194293
4.	1 बी/96/2004-05	श्री विवेक महर्षि वल्द जगदीश चन्द्र महर्षि, आदिश्वर काम्पलेक्स रामसागरपारा, रायपुर.	केबल मनोरंजन शुल्क	2004-05 (01-08-2004 से (19-11-2004)	178720

आशीष श्रीवास्तव,
अति. तहसीलदार.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

दंतेवाड़ा, दिनांक 16 जनवरी 2015

प्रारूप-ख
[नियम 5 का उपनियम (1) देखें]

क्रमांक/1747/अविअ/स.प्रा./भू-अर्जन/2015.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची में उल्लेखित अनुसार ग्रामों के निजी एवं शासकीय भूमि पर मेसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड किरन्दुल द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिये.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	बेनपाल	निजी भूमि	
			79	0.024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	बेनपाल	95	0.040
			102/1 टु क	0.348
			03	0.412
			81	0.105
			102/1टु ख	0.053
			02	0.158
			93/1	0.024
			102/1टु ग	0.178
			02	0.202
			102/1टु घ	0.121
			102/1 टु च	0.079
			102/2 ग	0.186
			102/2 घ	0.178
			11	1.354
		पाढापुर	निजी भूमि	
			123	0.138
			127	0.105
			124	0.166
			03	0.409
			शासकीय भूमि	
			103	0.069
			113	0.017
			131	0.012
			03	0.098
		कुलयोग	**6**	**0.507**

हरेश मण्डावी,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).